

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

**अधिसूचना सं.35/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2020

10 चैत्र, 1942(शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 27/2020-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 19 मार्च, 2020, में दिनांक 31 मार्च 2020 से निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची-1

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यातित माल के लिए)
1.	ऑस्ट्रेलियाई डालर	47.35	45.15

(फा.सं. 468/01/2020 सीमा शुल्क-V)

(प्रमोद कुमार)

निदेशक

टेलीफ़ोन नं. 011-2309 5541

नोट:- मूल अधिसूचना सं. 27/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 19 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी और तब से यह अधिसूचना अधिसूचना सं. 28/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 20 मार्च, 2020, अधिसूचना सं. 30/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 24 मार्च, 2020, अधिसूचना सं. 32/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मार्च, 2020, अधिसूचना सं. 34/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 मार्च, 2020 के द्वारा संशोधित की गई थी।